

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-87/2019 रे0वाद

अन्तर्गत धारा:- 53, 54, 88, 188 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

1. किशना उर्फ किशन पुत्र भागुं (मुतबन्ना) बेणा रेगर, निवासी वार्ड नं0 20 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. लालू पिता भागु रेगर निवासी वार्ड नं0 20, गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
2. मोहन पिता भागु फौत के बजाए
क सावरमल पिता मोहन रेगर
ख कैलाशचन्द्र पिता मोहन रेगर
ग प्रेमदेवी पत्नी मोहन रेगर
सर्व निवासी वार्ड नं0 20 गंगापुर जिला भीलवाड़ा
3. मगनी बेवा नारायण निवासी वार्ड नं0 20 गंगापुर जिला भीलवाड़ा
4. मूली देवी पत्नी डालु रेगर पुत्री भागु रेगर निवासी वार्ड नं0 20 गंगापुर जिला भीलवाड़ा हाल अरनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल अरनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. रामु बाई पत्नी तुलसीराम पुत्री भागु रेगर निवासी वार्ड नं0 20 गंगापुर, हाल लक्ष्मीपुरा पोस्ट मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा राज0
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी : श्री राजेश चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादीगण : श्री मुकेश चौधरी


वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,54,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—::निर्णय ::—

दिनांक 28.01.2020

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:-

काना



सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

वादी ने विषयान्तर्गत वाद का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सल्यावड़ी पटवार हल्का शिवरती, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में वादी एवं प्रतिवादीगण की निम्न आराजियात स्थित है—
अनुसूची क — खाता संख्या 343 नया, पुराना 324

क्र० सं०	आराजी नं०	रकबा	किस्म
1	110	0.0200	गे०मु० खड्डा
2	146	0.0300	गे०मु० आचा
3	152	0.0800	बीड़
4	153	0.0800	बीड़
कुल किता 04		कुल रकबा 0.2100	

अनुसूची ख — खाता संख्या 346 नया, पुराना 329

क्र० सं०	आराजी नं०	रकबा	किस्म
1	96	0.0400	बीड़
2	97	0.1100	बारानी द्वितीय
3	111	0.0300	बीड़
4	112	0.0200	बारानी द्वितीय
5	137	0.1600	चाही तृतीय
6	138	0.1600	चाही तृतीय
7	140	0.2500	चाही तृतीय
8	141	0.2200	चाही तृतीय
9	144	0.1000	चाही तृतीय
10	147	0.0900	चाही तृतीय
11	148	0.0800	चाही तृतीय
12	154	0.0900	बीड़
कुल किता 12		कुल रकबा 1.5300	

यह कि उक्त वर्णित आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती है एवं खातेदार बेणा पिता चेना का स्वर्गवास हो चुका है व उसकी पगड़ी वादी को जाति समाज में उत्तराधिकारी घोषित कर उसके अंतिम संस्कार व सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किशना ने किया है व उसकी चल अचल सम्पूर्ण जायदाद का मालिक वादी होकर उसके हिस्से पर काबिज होकर काशत कर रहा है। वादी एवं प्रतिवादी के बिच में कोई विवाद नहीं है सभी एक ही मूल पुरुष के पुत्र होकर एक ही परिवार के सदस्य है। क्योंकि मोहन फौत हो चुका है जिससे आगे चलकर हिस्से व अधिकारीता का विवाद होगा जिससे वादी एवं प्रतिवादी के बीच आराजियात का विभाजन करा खाता अलग-अलग कराया जाना आवश्यक है। तथा वादी को बेणा के हिस्से का खातेदार घोषित कर बेणा का अनुसूची क में 1/4 व अनुसूची ख में वर्णित आराजियात का 1/2 हिस्सा विभाजन करा वादी के नाम पर दर्ज कराया जावे तथा बेणा का नाम राजस्व रेकार्ड से डिलीट फरमाया जावे।

वादी ने रिलिफ चाही हैं कि ग्राम सल्यावड़ी पटवार हल्का शिवरती में स्थित आराजी अनुसूची क — खाता संख्या 343 नया, पुराना 324

क्र० सं०	आराजी नं०	रकबा	किस्म
1	110	0.0200	गे०मु० खड्डा
2	146	0.0300	गे०मु० आचा
3	152	0.0800	बीड़
4	153	0.0800	बीड़
कुल किता 04		कुल रकबा 0.2100	

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

में बेणा के स्थान पर 1/4 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कराते हुए खाता अलग राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे व अनुसूची ख - खाता संख्या 346 नया, पुराना 329

कं0 सं0	आराजी नं0	रकबा	किस्म
1	96	0.0400	बीड़
2	97	0.1100	बारानी द्वितीय
3	111	0.0300	बीड़
4	112	0.0200	बारानी द्वितीय
5	137	0.1600	चाही तृतीय
6	138	0.1600	चाही तृतीय
7	140	0.2500	चाही तृतीय
8	141	0.2200	चाही तृतीय
9	144	0.1000	चाही तृतीय
10	147	0.0900	चाही तृतीय
11	148	0.0800	चाही तृतीय
12	154	0.0900	बीड़
कुल किता 12		कुल रकबा 1.5300	

व अनुसूची ख में वर्णित आराजी 1/2 का वादी को खातेदार घोषित कराते हुए खाता अलग राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे। यह कि विभाजन करा वादी के हक हिस्से में प्रतिवादीगण किसी तरह का दखल न तो स्वयं करें न अन्य से करावें अन्य दाद मुफिद बहक वादी न्यायालय मुफिद समझे दिलाते हुए वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

बाद प्रकरण दिनांक 21.08.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किये गये।

दिनांक 13.12.2019 को उभयपक्षकारान द्वारा न्यायहित की भावना से राजीनामा प्रस्तुत किया वादी एवं प्रतिवादीगण की पहचान उनके अधिवक्ताओं द्वारा की गई। बाद तस्दीव राजीनामा शामिल मिसल किया गया। राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 लालू व प्रतिवादी सं0 02 के वारिस (क) सांवरमल, (ख) कैलाश, (ग) प्रेमदेवी प्रतिवादी संख्या 04 मूली देवी, प्रतिवादी सं0 05 रामु बाई जो वि वाद पत्र की कलम संख्या 01 के सजरे अनुसार आपस में एक ही परिवार के है, औ आपसी राजीनामा हो गया कि ग्राम सल्यावड़ी पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा के वादग्रस्त आराजियात को खाता संख्या 343 में वर्णित है आराजी संख्या 110 रकबा 0.0 हे0 146 रकबा 0.03 हे0, 152 रकबा 0.08 हे0, 153 रकबा 0.08 कुल किता 04 रकबा 0.21 हे0 जिसमें वादी के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा खाता संख्या 346 में वर्णित आराजी संख्या 96 रकबा 0.04 हे0, आराजी संख्या 97 रकबा 0.11 हे0, आराजी संख्या 111 रकबा 0.03 हे0 , आराजी सं0 112 रकबा 0.20 हे0, आराजी संख्या 137 रकबा 0.1 हे0, आराजी संख्या 138 रकबा 0.16 हे0, आराजी संख्या 140 रकबा 0.25 हे0, आराजी संख्या 141 रकबा 0.22 हे0, आराजी संख्या 144 रकबा 0.10 हे0, आराजी सं0 147 रकबा 0.09 हे0, आराजी संख्या 148 रकबा 0.08 हे0, आराजी सं0 154 रकबा 0.09 हे0 कुल किता 12 रकबा 1.53 हे0 जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा बनता है, जिसे आपसी विभाजन एवं वादी को बेणा के हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। जिसे उक्त आराजी में भा पिता चैना की फौत की जगह वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है उसको हटाया जा एवं बेणा के हिस्से का राजस्व अभिलेखों में तहसीलदार सहाड़ा से दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः निवेदन हैं कि न्यायहित में उक्त वाद पत्र अनुसार प्रकरण में वाद व डिक्री फरमाया जावे।

सहायक कलेक्टर परदे
उपखण्ड अधिकारी
गंगपुर जिला भीलवाड़ा

राजीनामा में उभय पक्षों को सुना गया जिनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं की लिहाजा वाद में राजीनामा अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है।
अतः

—:आदेश:—

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादी और प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन राजीनामा अनुसार निम्नानुसार किया जावे।

राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 लालू व प्रतिवादी सं0 02 के वारिस (क) सांवरमल, (ख) कैलाश, (ग) प्रेमदेवी प्रतिवादी संख्या 04 मूली देवी, प्रतिवादी सं0 05 रामु बाई जो कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 के सजरे अनुसार आपस में एक ही परिवार के हैं, और आपसी राजीनामा हो गया कि ग्राम सल्यावड़ी पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा की वादग्रस्त आराजियात को खाता संख्या 343 में वर्णित है आराजी संख्या 110 रकबा 0.02 हे0 146 रकबा 0.03 हे0, 152 रकबा 0.08 हे0, 153 रकबा 0.08 कुल किता 04 रकबा 0.21 हे0 जिसमें वादी के नाम 1/4 हिस्सा तथा खाता संख्या 346 में वर्णित आराजी संख्या 96 रकबा 0.04 हे0, आराजी संख्या 97 रकबा 0.11 हे0, आराजी संख्या 111 रकबा 0.03 हे0 , आराजी सं0 112 रकबा 0.20 हे0, आराजी संख्या 137 रकबा 0.16 हे0, आराजी संख्या 138 रकबा 0.16 हे0, आराजी संख्या 140 रकबा 0.25 हे0, आराजी संख्या 141 रकबा 0.22 हे0, आराजी संख्या 144 रकबा 0.10 हे0, आराजी सं0 147 रकबा 0.09 हे0, आराजी संख्या 148 रकबा 0.08 हे0, आराजी सं0 154 रकबा 0.09 हे0 कुल किता 12 रकबा 1.53 हे0 जिसमें वादी किशना पिता भागु को विलोपित किया जाकर बेणा के 1/2 हिस्से का किशना गोदपुत्र बेणा को खातेदार घोषित किया जाता है।

अतः संलग्न राजीनामा के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्-पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो। राजीनामा को आदेश का पार्ट माना जावे।

आदेश लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)